



योग	0.00 (शून्य)	1,21,40,000 (एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार रुपये)	1,21,40,000 (एक करोड़ इक्कीस लाख तीस हजार रुपये)
-----	-----------------	--	---

4. उपरोक्त आवंटन जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 462 दि० 08.07.17 एवं 463 दि० 23.07.17/दरभंगा के पत्रांक 16मु० दि० 14.07.17 द्वारा की गई अधिधावना एवं उपरोक्त कथित उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. उपरोक्त राशि का व्यय उरी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विवर्तन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. एवं आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. उपरोक्त राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष लघु शीर्ष/सहाय शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/सहाय शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. उपरोक्त राशि का व्यय वित्त विभागीय आपांक 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के अंतर्गत की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रयोग दिनांक 15.03.2018 तक

निश्चित रूप में कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि को निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. उपरोक्त आवंटन आदेश के प्राप्त के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह संतोषपूर्वक अतिरिक्त करते हुए तुरंत

विभाग के मंत्र में विभाग को सूचित किया जाय।

12. उपरोक्त आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

सर्वोच्च न्याय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना  
सर्वाधिकारियों को सूचित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/

अपर सचिव

संज्ञांक ...../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रतिनिधि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

अपर सचिव

संज्ञांक ...../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रतिनिधि: जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/दरभंगा को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

अपर सचिव

संज्ञांक ...../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक

प्रतिनिधि: संयोजित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

अपर सचिव

संज्ञांक ...../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक


प्रतिनिधि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/

अपर सचिव

संज्ञांक **S7 (म)** ...../आ0प्र0, पटना 15, दिनांक **11/8/11**

प्रतिनिधि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सौख्यकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0सी0 मैनेजर प्रभार, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव